प्रेस विज्ञप्ति
20.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 16/03/2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी एवं दुर्गापुर स्थित मेसर्स टेक्नोसोलिस इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, श्रीमती सुरश्री कर, सुभाजित चक्रवर्ती एवं अन्य से संबंधित कुल 16 परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी के दौरान लगभग ₹2.5 करोड़ मूल्य के सावधि जमा (एफडी), स्वर्ण मुद्राएँ, क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ अनेक अपराध संकेती दस्तावेज़ एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, ₹20 करोड़ से अधिक मूल्य की कई अचल संपत्तियाँ, जैसे भूमि, होटल, रिसॉर्ट आदि, की पहचान की गई है, जिन्हें आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, तलाशी के दौरान 02 बांग्लादेशी पासपोर्ट तथा एक मर्सिडीज सहित 04 उच्च श्रेणी के वाहन भी जब्त किए गए। सिलीगुड़ी स्थित एक परिसर से विभिन्न ब्रांडों की कुल 88 शराब की बोतलें भी बरामद की गईं, जिन्हें पश्चिम बंगाल आबकारी विभाग को सुपुर्द किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु ईडी के योगदान का एक हिस्सा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। उक्त अभियुक्त व्यक्ति एक अवैध कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे तथा मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी नागरिकों को कॉल करते थे और उन्हें धोखाधड़ी के माध्यम से अवैध रूप से धन अर्जित करते थे, जिसे तत्पश्चात अवैध माध्यमों से भारत में प्रेषित किया जाता था।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत ईडी की जांच से यह उजागर हुआ कि मेसर्स टेक्नोसोलिस इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड तथा अन्य कंपनियों के नाम पर संचालित कई बैंक खाते स्वर्गीय दिबंकर धरा, श्रीमती सुरश्री कर, सुभाजित चक्रवर्ती एवं उनके सहयोगियों द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से नियंत्रित की जा रही थीं, जो आपराधिक गतिविधियों अर्थात् मेसर्स टेक्नोसोलिस इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड एवं उससे संबंधित अन्य संस्थाओं के नाम पर संचालित अवैध कॉल सेंटर परिचालन से उत्पन्न अपराध की आय का हिस्सा थी।

आगे की जांच जारी है।